मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 05/08/2021

// आदेश //

क्रमांक 3751/22/वि–3/ग्रायांसे/2021 -- राज्य शासन, एतद द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निम्न कार्यपालन यंत्रियों को तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तालिका के कॉलम क्र.–3 से कॉलम क्र.–4 में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है :–

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री ढालसिंह चौधरी	ग्रा.यां.सेवा पीएमयू क्रमांक–1 छिंदवाडा	ग्रा.यां.सेवा मंडल कार्या. चंबल (मुरैना)
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार मुडिया	ग्रा.यां.सेवा संभाग, क्रमांक–1 छिंदवाडा	ग्रा.यां.सेवा संभाग, क्रमांक–1 बालाघाट
3	श्री जी.पी. कोरी	ग्रा.यां.सेवा संभाग, क्रमांक–1 बालाघाट	ग्रा.यां.सेवा मंडल कार्या. जबलपुर
4	श्री सुरेश टेकाम	ग्रा.यां.सेवा मंडल कार्या. सागर	ग्रा.यां.सेवा संभाग, पन्ना
5	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	ग्रा.यां.सेवा संभाग, अनूपपुर	ग्रा.यां.सेवा संभाग, नरसिंहपुर
6	श्री दुबालिया राणा	ग्रा.यां.सेवा परिक्षेत्र कार्या. इंदौर	ग्रा.यां.सेवा संभाग, मुलताई

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 42 अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 43 अनुसार यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो, तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनाधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व पदस्थापना स्थल पर रोका जा सकेगा।

4/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 44 अनुसार यथा स्थिति दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

5/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 45 अनुसार स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिये सभी स्थानांतरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्पलाई कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि के उपरांत कर्मचारी/अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जायेगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय

को भिजवा दिए जाएगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण एवं संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।

6/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 46 अनुसार कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 47 अनुसार कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

8/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 48 अनुसार स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानूमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्व पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

9/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2021–2022 की कंडिका 49 अनुसार स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश, नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाईन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(उमाकांत उमराव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 3752 /22/वि–3/ग्रायांसे/2021 **भोपाल, दिनांक 05/08/2021**

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, समन्वय की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी,/निज सहायक, मान. राज्यमंत्रीजी म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (7–1) की ओर सूचनार्थ।
4. अवर सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल।
6. कमिश्नर, संभाग समस्त म.प्र.।
7. मुख्य अभियंता, ग्रायांसे परिक्षेत्र कार्यालय समस्त म.प्र.।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त म.प्र.।
9. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र.।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म.प्र.।
11. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त म.प्र.।
12. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय ...., म.प्र.।
13. सहायक यंत्री, आई.टी.सेल. मुख्यालय भोपाल बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. संबंधित श्री/श्रीमती ....कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. गार्ड फाईल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग